



2026:AHC:46561
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2122 वर्ष 2026

मोहन
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हरी शंकर चौरसिया, ममता खरे
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को आदेश से असंतुष्ट है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण संख्या सी-2011170000119 में अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), बस्ती डिवीजन, बस्ती द्वारा दिनांक 10.03.2017 को पुनर्विचार का आदेश पारित किया गया था।
4. उपरोक्त आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् सहायक कलेक्टर/उप खंड मजिस्ट्रेट, तहसील हरैया, जिला बस्ती को मामले का नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सात वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्थिति को देखते हुए, यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) द्वारा दिनांक 10.03.2017 के आदेश के अनुसार मामले का नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, यह याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को परमादेश जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वह अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासनिक) द्वारा पुनरीक्षण संख्या सी-2011170000119 में दिनांक 10.03.2017 का पारित आदेश का विधि के अनुसार बिना अनावश्यक स्थगन दिए, शीघ्रता से पालन करे यदि कोई विधिक बाधा न हो।

23 फरवरी, 2026

दिनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"